<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3817

28 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

आर॰आई॰एन॰एल॰ की स्टील एग्जिक्यूटिव

एसोसिएशन की मांग

3817. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आर॰आई॰एन॰एल॰ की स्टील एग्जिक्यूटिव एसोसिएशन (एस॰ई॰ए॰) अगस्त, 2017 में जारी डी॰पी॰ई॰ के वेतन संशोधन आदेश में 'वहनीयता खंड' हटाने का अनुरोध कर रहा है;

(ख) क्या एसईए दूसरे पीआरसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अधिवर्षिता लाभ योजना लागू करने का भी अनुरोध कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार ने क्या किया है;

(घ) क्या मंत्रिमंडल द्वारा यह सिफारिश किए जाने के बावजूद कि वेतनमान एग्सिक्यूटिव्स/अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ कामगारों का वेतनमान एग्सिक्यूटिव के वेतनमान को पार करके प्रबंधक के वेतनमान के स्तर तक पहुंच गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस विसंगति को कैसे दूर करेगी?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (ग): जी हाँ। सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में वेतन संशोधन करने के लिए वहनीयता समेत सभी शर्तें, जोकि अन्य के साथ-साथ लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 03 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में निहित हैं, तीसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त विचार करने के पश्चात् ही निर्धारित किए गए हैं।

जहाँ तक अधिवर्षिता लाभ की स्कीम का संबंध है, इस्पात मंत्रालय ने मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई में पेंशन स्कीमों को लागू करने की सिफारिश करने और उनकी जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है और अन्य के साथ-साथ यह राय प्रकट की गई है कि किसी भी सीपीएसई में पेंशन योजना को लागू करना, डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन होने तथा कंपनी की लाभप्रदता के आधार पर योजना की वहनीयता और निरंतरता जैसे संगत घटकों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कामगार के लिए मजदूरी समझौतों संबंधी डीपीई के मौजूदा दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि कामगार का समझौता वेतनमान कार्यपालकों/अधिकारियों और गैर-संगठित सुपरवाइजरों के मौजूदा वेतनमानों से अधिक नहीं होने चाहिए। आरआईएनएल में गैर-संगठित कार्मिकों के वेतनमान कार्यपालकों/अधिकारियों और गैर-संगठित सुपरवाइजरों की तुलना में अधिक नहीं है। तथापि, आरआईएनएल में कार्यपालकों के मामले से इतर कामगार अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर भी वार्षिक वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं।

*****